न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 48/2019/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांक 04.06.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

कान्ती बाई पुत्री स्व० गजानन्द पत्नी श्री कल्लू लाल जाति–मीणा निवासी–ग्राम गादिया जेमल तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान

...अपीलान्ट

बनाम

1. तुलसा पुत्री स्व० कंवरिया जाति–मीणा निवासी–मन्याखेडी तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान
2. बिरधीलाल आत्मज स्व० गजानन्द
3. राजूलाल आत्मज स्व० गजानन्द
   जाति–मीणा निवासी–ग्राम खेरखेडा आबाद तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान
4. कंचन बाई स्व० गजानन्द पत्नी रामप्रताप
   जाति–मीणा निवासी ग्राम पांचोला तहसील अकलेरा जिला झालावाड
5. बादाम बाई बेवा भंवरलाल जाति–मीणा निवासी–खेरखेडा आबाद तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज०
6. गुड्डी बाई पुत्री स्व० भंवरलाल पत्नी माधोलाल जाति–मीणा निवासी–अमृतखेडी, तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज०
7. भूरी बाई पत्नी स्व० भंवरलाल पत्नी लेखराज जाति–मीणा निवासी–बासोदिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज०
8. धापू बाई पुत्री स्व० भंवरलाल पत्नी राकेश जाति–मीणा निवासी–बासोदिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज०
9. ममता बाई पुत्री स्व० भंवर लाल पत्नी रामनिवास जाति–मीणा निवासी–ग्राम ल्हाम तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज०
10. नट्टी बाई बेवा देवीलाल
11. बलराम पुत्र स्व० देवलाल जाति–मीणा निवासी–खेरखेडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज०

अति. आयुक्त
कोटा

12. सन्ती बाई पुत्री स्व० देवलाल पत्नी बीरम जाति–मीणा निवासी–नई बस्ती नहर के पास, अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज०
13. कविता बाई पुत्री स्व० देवलाल पत्नी भोजराज जाति–मीणा निवासी–सरेडी तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज०
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विष्णु कुमार मीणा एवं
श्री अशोक कुमार मीणा अभिभाषक –अपीलांट
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक – रेस्पो क्र. 2, 3, 5, 10 एवं 11

::निर्णय::

दिनांक 25.02.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा राजस्व केंप गुलखेड़ी मे पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के यहां प्रार्थीगण 1. बिरधीलाल 2. राजूलाल आ० गजानन्द 3. बलराम पुत्र देवलाल 4. नटीबाई पत्नी स्व० देवलाल 5. बदामबाई पत्नी स्व० भंवरलाल अकवाम जाति मीणा निवासी खेरखेडा तह० अकलेरा ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के बुआजी व बहिनो के नाम से शामलाती खाते में ग्राम खेरखेडा में दो खाते है खाते संख्या 72 व 73 है उक्त दोनो खाते में प्रार्थीगण बिरधीलाल, राजूलाल आ० गजानन्द कान्तीबाई, कन्चनबाई पुत्रियां गजानन्द हिस्सा 1/3 हि०ब० गुड्डीबाई, भूरीबाई, धापूबाई, ममताबाई पुत्रियां भंवरलाल, बदामबाई बेवा भंवरलाल हि० 1/12 हि०ब०, बलराम पुत्र देवलाल, सन्तीबाई, कविताबाई पुत्रियां देवलाल नटीबाई बेवा देवलाल हि0 1/12 हि०ब० तुलसा पिता कंवरया हि० 1/2 दर्ज रेकार्ड है। जिसमे तुलसा पिता कंवरया प्रार्थीगण की सगी बुआजी है व कान्तीबाई कंचनबाई पुत्रियां गजानन्द सगी बहिने है। जबकि उक्त दोनो खातो की आराजी पुश्तेनी सम्पत्ति बताई है। प्रार्थीगण अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। अनुसूचित जन जाति के सदस्यो पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। पिता की सम्पत्ति में पुत्र जीवित होने की दशा में पुत्रियो को कोई अधिकार नही होना बताया है। पूर्व में यह भूमि कंवरया पुत्र रामा के खातेदारी में थी खातेदार कंवरया के फोत होने पर यह भूमि पुत्र गजानन्द व उनकी बहिन तुलसा के नाम दर्ज कर दी गई जिसमें से गजानन्द के फोत होने पर बिरधीलाल, राजूलाल, पुत्र व पुत्रिया कान्तीबाई, कन्चनबाई, व मृतक पुत्र भंवरलाल देवलाल के वारिसान के नाम से दर्ज कर दी गई जबकि अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत कंवरया के फोत होने पर केवल पुत्र गजानन्द के ही नाम भूमि दर्ज होना आना चाहिये थी तथा गजानन्द के फोत होने पर पुत्र बिरधीलाल, राजूलाल व मृतक भंवरलाल देवलाल के वारिसान के नाम ही दर्ज होना चाहिये थी उक्त कार्यवाही में कानूनी त्रुटि रही है। खाता सं0 72 व 73 में से प्रार्थीगण की सगी बुआजी तुलसा पिता कंवरया

25/2/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

व प्रार्थीगण की सगी बहिने कान्तीबाई कंचनबाई पुत्रियां गजानन्द का नाम खाते से काटा जाने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के उपरोक्त आशय के प्रार्थना–पत्र को दौरान कैंप कोर्ट गुलखेड़ी में पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 से स्वीकार किया जाकर ग्राम खेरखेड़ा की आराजी के नए खसरा सं0 72 एवं 73 से प्रार्थीगण की बुआजी व बहनों क्रमशः तुलसा पुत्री कंवरया एवं कांतिबाई, कंचन बाई पुत्रियां गजानन्द के नाम हटाये जाने का आदेश दिनांक 23.06.2016 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश की जाकर कथन किया गया कि कि रेस्पोडेन्ट नं0–1 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स की बुआ है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 4 सगे भाई बहिन है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 5 लगायत 9 व 10 लगायत 14 अपीलान्ट के भाई क्रमशः भंवरलाल व देवलाल के वारिसान् है। अपीलान्ट के पिता गजानन्द व रेस्पोडेन्ट नं0 1 का ग्राम खेरखेडा आबाद तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ की कृषि आराजी खाता संख्या नया 32 पुराना 30 खसरा नं0 16 की 2.02 बीघा, खसरा नं0 17 की 1 बीघा, खसरा नं0 106 की 5.06 बीघा, कुल किता 3 की रकबा 8.08 बीघा तथा खाता संख्या नया 73 पुराना 33 खसरा नं0 69 की 4.19 बीघा, खसरा नं0 70 की 1.18 बीघा, खसरा नं0 71 की 0.06 बीघा, खसरा नं0 175 की 5.10 बीघा, खसरा नं0 176 की 5.13 बीघा, खसरा नं0 231 की 6.08 बीघा, खसरा नं0 232 की 2.02 बीघा, खसरा नं0 233 की 2 बीघा, खसरा नं0 234 की 13.14 बीघा, खसरा नं0 246 की 0.03 बीघा, खसरा नं0 247 की 0.01 बीघा, खसरा नं0–248 की 1.07 बीघा, ख.न. 317 की 0.06 बीघा कुल किता 13 की रकबा 44.07 बीघा में अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट नं0 1 का 1/2, 1/2 हक हिस्सा निहित चला आ रहा है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 4 के पिता गजानन्द के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी में उनके विधिक व प्राकृतिक वारिस उत्तराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 13 को प्राप्त हुई है। किन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 2, 3, 5, 10 व 11 द्वारा दुर्भावनावश उक्त आराजी को हडपने की नियत से दिनांक 23.06.2016 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार केम्प गुलखेडी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 4 का नाम क्रमशः कान्ति बाई, तुलसा व कंचन बाई का नाम हटाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा सुनवाई कर उसी दिन दिनांक 23.06.2016 को कान्ति बाई, कंचन बाई व तुलसा बाई का खाते व जमाबन्दी से नाम हटाने का एक तरफा निर्णय पारित कर दिया। जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 1 तुलसा का नाम अपने पिता के स्वर्गवास के बाद फोती नामान्तरकरण से उनका विधिक उत्तराधिकारी होने से दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद लगातार खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा था तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 का नाम अपने पिता गजानन्द के देहान्त के बाद विधिक व प्राकृतिक उत्तराधिकारी होने से फोती नामान्तरण संख्या 341 से दर्ज हुआ। जिसकी अधीनस्थ न्यायालय को भलीभांती जानकारी होने पर भी गैरकानूनी तरीके से एक तरफा, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना अपील जेर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.06.2016 की पालना में

अति. सं. आयुक्त
कोटा

नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 28.06.2017 तस्दीक कर रिर्कोडेड खातेदार व काबिज काश्तकार तुलसा, कान्ति बाई व कंचन बाई का नाम खाते व जमाबन्दी से हटा दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भलीभांति स्पष्ट था कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 के स्वर्गीय पिता गजानन्द जी के विधिक व प्राकृतिक उत्तराधिकारी होने से उनकी मृत्यु पश्चात् विधिक वारिसान् की जांच कर नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 28.02.2013 खोला गया। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 13 के साथ दर्ज किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 4 की रिर्कोडेड खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी से नाम हटवाये जाने का कोई भी अधिकार प्राप्त नही था। किन्तु फिर भी अधीनिस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में भूल की है। क्योकि उक्त कृषि आराजी में रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 व 5 लगायत 12 अपने हक अधिकार बताते हैं, तो उन्हे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश कर अपने हक व अधिकार तय करवाने होगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसकी रिर्कोडेड खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी से खातेदारी अधिकारो को मात्र इन्तकाल दुरस्ती की फोरी कार्यवाही कर समाप्त नही किया जा सकता। प्राकृतिक वारिसान के साथ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 4 भी विधिक व प्राकृतिक उत्तराधिकारी है तथा जिसका उपयोग/उपभोग करने का उसे पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। किन्तु फिर भी अधीनिस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 4 का उनकी रिर्कोडेड खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी से नाम हटाने का उक्त निर्णय ज्यूडिशल माईन्ड एप्लाई किये बिना मन मर्जी रूप से पारित किया गया है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 का 1/12, 1/12 तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1 का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रिकोर्ड दर्ज चला आ रहा है। किन्तु फिर भी रिर्कोडेड खातेदार के खातेदारी अधिकारो को इन्तकाल दुरूस्ती की फोरी व संक्षिप कार्यवाही से समाप्त नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पो0 क्र0 2, 3, 5, 10 एवं 11 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 4 के पिता गजानन्द के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी में उनके विधिक व प्राकृतिक वारिस उत्तराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 13 को प्राप्त हुई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा सुनवाई कर उसी दिन दिनांक 23.06.2016 को कान्ति बाई, कंचन बाई व तुलसा बाई का खाते व जमाबन्दी से नाम हटाने का एक तरफा निर्णय पारित कर दिया। जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 1 तुलसा का नाम अपने पिता के स्वर्गवास के बाद फोती नामान्तरकरण से उनका विधिक उत्तराधिकारी होने से दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद लगातार खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा था तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 का नाम अपने पिता गजानन्द के देहान्त के बाद विधिक व प्राकृतिक उत्तराधिकारी होने से फोती नामान्तरण संख्या 341 से दर्ज हुआ। जिसकी अधीनस्थ न्यायालय को

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

भलीभांती जानकारी होने पर भी गैरकानूनी तरीके से एक तरफा, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना अपील जेर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.06.2016 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 28.06.2017 तस्दीक कर रिर्कोडेड खातेदार व काबिज काश्तकार तुलसा, कान्ति बाई व कंचन बाई का नाम खाते व जमाबन्दी से हटा दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भलीभांति स्पष्ट था कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 के स्वर्गीय पिता गजानन्द जी के विधिक व प्राकृतिक उत्तराधिकारी होने से उनकी मृत्यु पश्चात् विधिक वारिसान् की जांच कर नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 28.02.2013 खोला गया। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 13 के साथ दर्ज किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 4 की रिर्कोडेड खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी से नाम हटवाये जाने का कोई भी अधिकार प्राप्त नही था। क्योकि उक्त कृषि आराजी में रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 व 5 लगायत 12 अपने हक अधिकार बताते हैं, तो उन्हे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश कर अपने हक व अधिकार तय करवाने होगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसकी रिर्कोडेड खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी से खातेदारी अधिकारो को मात्र इन्तकाल दुरस्ती की फोरी कार्यवाही कर समाप्त नही किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पो0 क्र. 2, 3, 5, 10 एवं 11 के दिनांक 23.06.2016 को ही प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दिनांक 26.06.2016 को ही कैंप गुलखेडी में स्वीकार किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.06.2016 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 2, 3, 5, 10 एवं 11 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। प्रार्थीगण अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। अनुसूचित जनजाति में पुत्र के जीवित रहते पुत्रियों को पिता की विरासत में हिस्सा नहीं मिलता अर्थात् अनुसूचित जन जाति के सदस्यो पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "प्रार्थीगण/रेस्पो0 क्रम 2, 3, 5, 10 एवं 11 अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने से अनुसूचित जनजाति में पुत्र के जीवित रहते पुत्रियों को पिता की विरासत में हिस्सा नहीं मिलता अर्थात् अनुसूचित जन जाति के सदस्यो पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है," के आधार पर प्रार्थना–पत्र को दौरान कैंप कोर्ट गुलखेड़ी में पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 से स्वीकार किया जाकर ग्राम खेरखेड़ा की आराजी के नए खसरा सं0 72 एवं 73 से प्रार्थीगण की बुआजी व बहनों क्रमशः तुलसा पुत्री कंवरया एवं कांतिबाई, कंचन बाई

अति. जिला आयुक्त
कोटा

पुत्रियां गजानन्द के नाम हटाये जाने का आदेश दिनांक 23.06.2016 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 4 के पिता गजानन्द के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी में उनके विधिक व प्राकृतिक वारिस उत्तराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 13 को प्राप्त हुई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा सुनवाई कर उसी दिन दिनांक 23.06.2016 को कान्ति बाई, कंचन बाई व तुलसा बाई का खाते व जमाबन्दी से नाम हटाने का एक तरफा निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को कैंप के दौरान सुनवाई का अवसार नहीं मिला तथा केवल राजीनामे के प्रकरण ही कैंप के दौरान निस्तारित हो सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट होता है कि न्याय आपके द्वारा में प्रकरण आपसी राजीनामें से ही निस्तारित किए जा सकते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में बगैर राजीनामें एवं बिना खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिए निर्णय पारित करना त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनंक 23.06.2016 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा राजस्व केंप गुलखेड़ी मे पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि निर्णय मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण कर पक्षकारान/खातेदारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

25/2/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा